

कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 419 /3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

**सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)**

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/ संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	पदमा रावत	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल	रा0क0उ0मा0वि0 ल्वाली, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल
2	पल्लवी शर्मा	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 रामपुरकला, सहसपुर, देहरादून	रा0क0उ0मा0वि0 कोटसाडा, कोट, पौड़ी
3	सुमन सेमवाल	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 अम्बाडी, विकासनगर, देहरादून	रा0क0उ0मा0वि0 थान, जौनपुर, टिहरी
4	श्रीमती वन्दना सिंह	गणित	रा0बा0उ0मा0वि0 मानक चौक मंगलौर, नारसन, हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 बीरोंखाल, बीरोंखाल, पौड़ी
5	श्रीमती स्मिता टम्टा	अंग्रेजी	रा0बा0उ0मा0वि0 नई टिहरी, चंबा, टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 दिखोली, डुण्डा, उत्तरकाशी
6	श्रीमती विनीता पंवार	हिन्दी	रा0बा0उ0मा0वि0 माजरा, रायपुर, देहरादून	रा0क0उ0मा0वि0 धारकोट, कीर्तिनगर, टिहरी
7	गीता कुमारी	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0क0उ0मा0वि0 घण्डियाल, कल्जीखाल, पौड़ी
8	संगीता सैनी	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून	रा0बा0इ0का0 लम्बगांव, प्रतापनगर, टिहरी
9	मंजू कुकरेती	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 अम्बाडी, विकासनगर, देहरादून	रा0बा0इ0का0 गैरसैण, गैरसैण, चमोली
10	श्रीमती अलका घनसाला	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 रामनगर, रुड़की, हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 बीरोंखाल, बीरोंखाल, पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।



- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ0सं0/सेवा.अराज./ 5517-30

/3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



# कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpaori@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 421 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विधि/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(एक)- गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी यथालागू की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

## सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)


क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री शान्ति प्रसाद थपलियाल	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 पोखरी, चमोली	रा0बा0इ0का0 अजबपुर कला, रायपुर, देहरादून
2	श्रीमती गीता रावत	विज्ञान	आ0रा0क0इ0का0 सिकरौडा, भगवानपुर, हरिद्वार	रा0क0उ0मा0वि0 माजरा, रायपुर, देहरादून
3	श्रीमती रेनु चौहान	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 लम्बागांव, प्रतापनगर, टिहरी	रा0बा0इ0का0 ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून
4	श्रीमती प्रीति रतूडी	व्यायाम	रा0बा0इ0का0 गुलाबशाहपीर, रूडकी, हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी
5	श्रीमती सीमा राठौर	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 ज्ञानसू, भटवाड़ी, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 ब्रहमपुरी, रायपुर, देहरादून

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।  
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।




डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5545-58 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।



अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



# कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 422 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विधि/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

### सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	कान्ता रावत	हिन्दी	रा0क0इ0का0 दुगडडा, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 कोटद्वार, दुगडडा, पौड़ी
2	श्रीमती ममता पंवार	व्यायाम	रा0क0उ0मा0वि0 बडेथी चुंगी, डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली
3	श्रीमती श्वेता	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 मोरी, उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 देवप्रयाग, टिहरी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून



2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ. (एस.बी.) जोशी

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5559-72/3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



# कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpaouri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 423 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी 17(1)(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिक श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

### सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भुवनेश्वरी नेगी	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 किलकिलेश्वर, कीर्तिनगर, टिहरी	रा0बा0इ0का0 बौराडी, चम्बा, टिहरी
2	श्रीमती मधु जोशी	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 बासिंजाना, द्वारीखाल, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 कोटद्वार, दुगडडा, पौड़ी
3	श्रीमती अनुपमा	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 कोटसाडा, कोट, पौड़ी	रा0क0उ0मा0वि0 दक्षरोड़ कनखल, बहादुराबाद, हरिद्वार
4	श्रीमती अजन्ता ध्यानी	गणित	रा0क0इ0का0 पैडुल, पौड़ी, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 कोटद्वार, दुगडडा, पौड़ी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

f

4

b



- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ. (एस.सी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5573-86 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्त की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



# कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpaouri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 424 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विधि/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(छ:) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

### सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मीना नौटियाल	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 डुण्डा, उत्तरकाशी	रा0क0उ0मा0वि0 चुंगी बडेथी, डुण्डा, उत्तरकाशी
2	मीना रवि	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरी, नैनीडांडा, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 कोटिकनासर, चकराता, देहरादून
3	श्रीमती कान्ता	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 पुरोला, उत्तरकाशी	रा0क0उ0मा0वि0 मुराड़ी, नौगाँव, उत्तरकाशी
4	श्रीमती दीपा रानी	कला	रा0क0उ0मा0वि0 मोरी, उत्तरकाशी	रा0आ0बा0इ0का0 बड़कोट, नौगाँव, उत्तरकाशी
5	श्रीमती पूनम जंगवाण	हिन्दी	रा0बा0इ0का0 नन्दानगर, चमोली	रा0क0उ0मा0वि0 ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग
6	रुबी गौतम सारस्वत	संगीत	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरी, नैनीडांडा, पौड़ी	रा0आ0बा0इ0का0 बड़कोट, नौगाँव, उत्तरकाशी
7	श्रीमती प्रतिमा रावत	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 डांग बसोला, थलीसैण, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 चिन्थालीसौड, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड



देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. [edusewa12@gmail.com](mailto:edusewa12@gmail.com) पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।

- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।  
उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ. (एस.बी. जोशी)  
अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5587-5600 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 425 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विधि/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण श्रेणी धारा 17(1)(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र श्रेणी में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

**सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)**

क्र. सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रेनू सिंह	सामाजिक विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 नई टिहरी, चम्बा, टिहरी	रा0क0उ0मा0वि0 वासिज्ञाना, द्वारीखाल, पौड़ी
2	श्रीमती प्रीता रौथाण	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली	रा0क0उ0मा0वि0 धारकोट, कीर्तिनगर, टिहरी
3	दिव्या	गणित	रा0बा0इ0का0 कलालघाटी, दुगडडा, पौड़ी	रा0क0उ0मा0वि0 भटवाड़ी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. [edusewa12@gmail.com](mailto:edusewa12@gmail.com) पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।
- (7) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (8) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।
- (9) उक्त स्थानान्तरण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून 2018 के प्रस्तर-22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि "कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों



देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय"। अतः समस्त संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

डॉ.(एस.बी. जोशी)

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)  
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 5601-14 /3क(2)/वा.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्त की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।



# कार्यालय:- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 432 /3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक 30 जुलाई 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त /विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02 मई 2024, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/3(क)/2(1)/वा0स्थाना0 /3456-69/2024-25 दिनांक 15 मई 2024, शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024, शासनादेश संख्या: 1016/ XXIV-B-1/24/07(04)2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 एवं शासनादेश संख्या 223526/XXX(2)/2024/E33080 दिनांक 08 जुलाई 2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ- 5 में उनके द्वारा कांउसिलिंग के माध्यम से चयनित/स्थानान्तरण अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है-

### सहायक अध्यापक एल0टी0 (महिला शाखा)

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/ संस्था का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	संतोष बिष्ट	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 उखीमठ, रुद्रप्रयाग	रा0बा0इ0का0 नरेन्द्रनगर, टिहरी
2	कुसुम बर्त्वाल	सामाजिक विज्ञान	रा0बा0इ0का0 पाबौ, पौड़ी	रा0बा0इ0का0 पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/ शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करेंगे।
- (3) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (4) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (5) कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिनों के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। प्रत्यावेदन निदेशालय की ई.मेल.आई.डी. edusewa12@gmail.com पर भी निर्धारित अवधि में दिया जा सकेगा।




- (7) उक्त स्थानान्तरण ई-पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये हैं यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष की होगी।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।


  
डॉ.(एस.बी. जोशी)


अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पू0सं0/सेवा.अराज./ 5699 — 5712 /3क(2)/अनि.स्था./2024-25/दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से की उक्त सूची में अंकित सहायक अध्यापक एल0टी0 को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें व कार्यभार ग्रहण व कार्यभार मुक्ति की संकलित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
8. सम्बन्धित प्राचार्य, डायट
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें व अपने विकासखण्ड से स्थानान्तरित शिक्षक के प्रधानाचार्य को आदेश उपलब्ध करवाते हुये कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु अपने स्तर से भी अवगत करायें। स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें व विकासखण्ड स्तर से स्थानान्तरित शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण/कार्यभार मुक्ति की सूचना संकलित कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आपकी संस्था से स्थानान्तरित शिक्षक को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें।
13. प्रभारी, एम.आई.एस., महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
14. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट ([www.schooleducation.uk.gov.in](http://www.schooleducation.uk.gov.in)) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

  
अपर शिक्षा निदेशक, (मा.शि.)

 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।